Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 GISRRJ | Volume 5 | Issue 1 | ISSN : 2582-0095

प्लेजरिज़्म एवं इसको रोकने के उपाय

अमिता कुशवाहा
शिक्षक, बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालय, रसूलपुर, विकास क्षेत्र– मीरगंज, बरेली (उ०प्र०)

Article Info
Volume 5, Issue 1
Page Number : 127-148

Publication Issue :
January-February-2022

Article History
Accepted : 01 Feb 2022
Published : 10 Feb 2022

शोधसारांश – शोध अध्ययन–मनन एवं लेखन का कोई सामान्य क्षेत्र नहीं है। उच्च शिक्षा के मुख्यतः तीन स्तम्भ होते हैं– शिक्षण (Teaching), शोध (Research), एवं प्रसार (Extension)। इन तीनों स्तम्भों में काफी लम्बे समय से गड़बड़ी चल रही है। गुणात्मक शोध हेतु यूजीसी निरन्तर प्रयासरत एवं प्रतिबद्ध है आवश्यकता है कि हम मौलिक शोध करें, चिंतन करें तथा उसका ही प्रचार–प्रसार करें ताकि समाज का भला हो सकें।

मुख्य शब्द – प्लेजरिज्म, शोध, यूजीसी, अध्ययन, मनन, मौलिक, सृजनात्मक,कल्पनाशक्ति।

शोध तथ्यों का उद्घाटन तथा सिद्वान्तों की व्याख्या नए रूप व नई दृष्टि से करने का कार्य करती है । इससे शोधार्थी की समालोचनात्मक दृष्टि और मूल्यांकन की क्षमता प्रकट होती है। मौलिक शोध के द्वारा ही कल्पनाशक्ति, सृजनात्मक शक्ति, अन्तदृष्टि/अन्तः प्रज्ञा, आलोचनात्मक चिंतन, तर्कशक्ति एवं परावर्ती शक्ति (Reflective Thinking) का विकास होता है, समाज का भला होता है।

शोध (Research) शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, Re- बार–बार, Search–खोजना अर्थात सब दिशाओं में जाना (To go arround) या खोज करना (To Explore)। इसका उद्देश्य खोज की पुनरावृत्ति या अन्वेषण (Enquiry) होता है शोधकर्ता किसी अज्ञात विषय या तथ्य को बार–बार देखकर उससे सम्बन्धित आंकड़ों (Data) को एकत्र (Collect) करता है तथा उनके आधार पर परिणाम (Result) निकालता है।

शोध अध्ययन–मनन एवं लेखन का कोई सामान्य क्षेत्र नहीं है। जिसमें कि चोर, उचक्के, सामान्य बुद्धि अल्प ज्ञान वाले लोग हाथ आजमाएं। जो लोग अंतदृष्टि से शून्य होकर मात्र बाह्य वैज्ञानिक तकनीक का पालन कर लेने को शोध मानते हैं, वह वास्तव में शोध के अर्थ से अनभिज्ञ ही कहे जाएंगे। एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में इस सम्बन्ध में टिप्पणी करते हुए लिखा गया है कि–''.....यदि कोई यह समझे कि वैज्ञानिक पद्धति एक ऐसा नियम या नियमों का समूह है जिसका अनुसरण करते हुए एक साधारण बुद्धि मानव यथा–इच्छा प्रकृति के क्षेत्र में शोध कर सकता है तो हमें मानना होगा कि वैज्ञानिक पद्धति होती ही नहीं, क्योंकि वैज्ञानिक शोध के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात एक ऐसे सिद्धान्त की परिकल्पना है जो परीक्षा में पूर्ण उत्तर दे सके। इसे (परिकल्पना को) नियमबद्ध नहीं किया जा सकता है।'' (बैजनाथ सिंहल, 2008)

उच्च शिक्षा के मुख्यतः तीन स्तम्भ होते हैं– शिक्षण (Teaching), शोध (Research), एवं प्रसार (Extension)। इन तीनों स्तम्भों में काफी लम्बे समय से गड़बड़ी चल रही है। शिक्षण का स्तर जैसा चल रहा है उससे तो हम सभी परिचित ही हैं। प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थानों को छोड़ दें तो बाकी संस्थानों में तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि यहाँ पूरे वर्ष सांस्कृतिक गतिविधियों, कार्यक्रमों व छात्रवृत्ति मेला एवं सरकारी योजनाओं का ही प्रचार–प्रसार होता रहता

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

है। शिक्षण दिवस (180 दिन) नाम मात्र के लिए निर्धारित तो किए जाते हैं परन्तु कक्षा में छात्र–छात्राएं एवं शिक्षक यदा–कदा ही प्रकट होते हैं। इस प्रकार की गतिविधियों एवं शैक्षिक उदासीनता के कारण शिक्षण–अधिगम का स्तर दिन–प्रतिदिन गिरता जा रहा है। शैक्षिक गुणवत्ता पर प्रश्न चिह्न खड़ा हो गया है। आज के समय में कुछ लोग मौलिक चिंतन के स्थान पर रेडीमेड, डिब्बाबंद पी–एच॰डी॰ डिग्री, शोध पत्रों, पुस्तकों आदि के माध्यम से उस मुकाम को प्राप्त कर ले रहें जिसके वह काबिल भी नहीं हैं। युवा वर्ग नौकरी एवं शिक्षक वर्ग प्रमोशन प्राप्त करने के लिए जैसे भी अनैतिक हथकण्डे अपना सकता है अपना रहा है ऐसे कृत्यों से शोध का स्तर एवं गुणवत्ता दोनों प्रभावित हुए हैं। आज के समय में शैक्षणिक शोध सबसे फलता–फूलता व्यवसाय बन गया है। सेमीनार, कान्फ्रेंस, पत्रिकाओं द्वारा ऐसे शोध कार्यों का प्रचार–प्रसार (Extension) हो रहा है जो कि स्तरहीन है, कॉपी–पेस्ट है, चोरी की है, यदि ऐसा कहें कि 'नई बोतल में पुरानी शराब है' तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। मीडिया के युग में ऐसे लोग भी लेखक हो गए जो एक प्रार्थना–पत्र लिखने में भी बगलें झाकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से ई–बुक, ई–जर्नल एवं मानकीय सरकारी खुले ई–प्लेटफार्म एवं स्तरहीन साइट आदि का सर्फिंग कर विषय–वस्तु का कॉपी–पेस्ट कर, नए–नए लेखकों, शोधकर्ताओं एवं प्रकाशकों का आए दिन उदय हो रहा है। इस संदर्भ में 'अमेरिकन एजूकेशनल रिसर्च एसोसिएशन की वार्षिक सभा में प्रस्तुत हजारों आलेखों के आधार पर कहा जा सकता है कि 'शैक्षणिक अनुसंधान एक फलता–फूलता व्यवसाय है। निश्चित रूप से इस क्षेत्र में इतना काम पहले कभी नहीं हुआ, जितना इन दिनों हो रहा है।' –(पॉल स्मेयर्स, 2006)

पहले न तो ई–जर्नल्स व ई–पुस्तकें, यूजीसी अनुमोदित जर्नल्स होते थे और न ही उनके आइएसएसएन नम्बर व आईएसबीएन नम्बर, लेकिन फिर भी शोध का स्तर काफी हद तक संतोषजनक था, पवित्र मंशा थी व सृजनात्मक चिंतन व लेखन था। आज यह सब कुछ होते हुए भी हमारी आँखे मौलिक शोध कार्य को तलाशती हैं। ऐसा नहीं है कि शोध की गुणवत्ता मे एकाएक कमी आ गई हो। इस कमी के लिए राजनैतिक व्यवस्था सरकारी नीतियाँ एवं आदेश भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। यूजीसी ने समय–समय पर यथा–वर्ष 1991 वर्ष 2002 फिर पुनः सशर्त वर्ष 2009 तक पंजीकृत पी–एच॰डी॰ डिग्री को नेट के समकक्ष मान्यता प्रदान की, जिससे इन वर्षों में पी–एच॰डी॰ डिग्री धारकों की बाढ़ सी आ गई। ठेके पर थीसिस लिखने एवं शोध कार्यों को रातोंरात कॉपी–पेस्ट कर विश्वविद्यालयों में जमा करने की खबरें यदा–कदा समाचार पत्रों में प्रकाशित होती रहती हैं। छठे वेतन आयोग में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में नियुक्ति एवं प्रमोशन के लिए यूजीसी ने अकादमिक उपलब्धि सूचक (API, 2010) लागू किया, इससे लोगों में शोध पत्र, पुस्तकें, सम्पादित पुस्तकें छपवाने की होड़ सी मच गई। ऐसे शोध का प्रचार–प्रसार तो हुआ, लेकिन मात्र तीन लोगों तक ही– शोधार्थी, सुपरवाइजर एवं टाईपिस्ट। सरकार के ढुलमुल रवैये एवं आंशिक दण्डात्मक व्यवस्था ने भी विश्व स्तर पर भारतीय शोध की खूब फजीहत कराई। वर्ष 2002 में कुमायुँ विश्वविद्यालय नैनीताल के तत्कालीन कुलपति एवं उनके शोध छात्र ने एक जर्मन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक रैनेटा कैलोस के शोध पत्र को चोरी कर अपने नाम से छपवा लिया। उस समय दुनिया के 10 नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिकों ने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी कि आखिर आपके देश में ऐसा व्यक्ति कुलपति कैसे रह सकता है, जो शोध पत्र चोरी का आरोपी हो। तब सरकार ने बाध्य होकर कुलपति से त्यागपत्र लिया।

वर्ष 2018 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री डा॰ सत्यपाल सिंह ने स्वीकारा कि साहित्यक चोरी (Plagiarism) से सम्बन्धित तीन मामले यूजीसी को मिले हैं। जिनमें पांडिचेरी विश्वविद्यालय के कुलपति, वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एसोसिएट प्रोफेसर एवं लखनऊ के ए॰पी॰जे॰ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम शामिल हैं।

समाचार पत्रों में शोध की चोरी या चोरी की शोध जैसी विभिन्न खबरें प्रकाशित होती रहती हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति को प्लेजरिज्म के कारण स्थानीय अदालत ने गिरफ्तार करने का आदेश दिया तथा जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति को प्लेजरिज़्म के कारण चुनौती दी गई –(मधुसंधु, 2018), लखनऊ विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर पर किसी अन्य शोध की चोरी करने का आरोप लगा – (अमर उजाला, 2019) । आई॰वी॰आर॰आई बरेली के वैज्ञानिक की शोध सामग्री चोरी की खबर समाचार पत्र में

प्रकाशित हुई– (अमर उजाला, 2013) । गुरुनानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर की क्लर्क अविन्दर कौर की थीसिस में चोरी की सामग्री पाई जाने पर उसकी नौकरी एवं डिग्री रद्द कर दी गई–(मधु संधु, 2010) । सीडीआरआई के बाद बीबीयू में साहित्यक चोरी (नवभारत टाइम्स, 2019)

साहित्यक चोरी/अपराध (Plagiarism Theft/Betrayal/Dishonesty)

प्लेजरिज्म शब्द लैटिन भाषा के शब्द– Plagiarismor Kidnapper से बना है जिसका अर्थ है– शब्द चुराना एक व्यक्ति जिसने शब्द चुरा लिए (A person who stole the word)

'किसी दूसरी की भाषा, विचार, शैली आदि का अधिकांशतः नकल करते हुए अपनी मौलिक कृति के रूप में प्रकाशित करना प्लेजरिज़्म कहलाता है।'

'Plagiarism is the wrongful appropriation and stealing & publication of another author's language, thoughts idea or expression and the representation of them as one's own original work'.- (Wikipedia Plagiarism)

अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी में प्लेजरिज़्म को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि– 'किसी अन्य लेखक के विचारों तथा भाषा का अनाधिकृत उपयोग या नकल करके उसको अपनी मूल कृति के रूप में प्रस्तुत करना है।' –(मधु संधु, 2018)

Emily Listman लिखते हैं कि 'प्लेजरिज़्म किसी दूसरे के शब्दों को कॉपी करके सीधे संदर्भ (Reference) करने से लेकर या किसी दूसरे के काम विचारों या विश्लेषण को, उन्हें श्रेय (Credit) दिए बिना प्रयोग तक की रेंज में हो सकती है। अगर आप किसी के काम का संदर्भ तो देते हैं; लेकिन उन्हें श्रेय देना भूल जाते हैं तो भी आप से अनजाने में प्लेजरिज़्म हो सकती है।' (wikiHow)

आज बौद्धिक जगत में प्लेजरिज़्म की समस्या बढ़ती जा रही है किसी व्यक्ति की मौलिक रचना खोज, चिंतन एवं विचारों अर्थात बौद्धिक सम्पदा (Intellectual Property) की चोरी गुपचुप तरीके से की जा रही है। अब तक माना जाता था कि यथा–

न चोराहार्यम् न च राजहार्यम्, न भ्रातृभाज्यं न च भारकारि।
व्यये कृते वर्धत एव नित्यं, विद्याधनं सर्वधनप्रधानम् ।।

(अर्थात जिसे न चोर चुरा सकते हैं न राजा हरण कर सकता है, न भाई बँटा सकते हैं, जो न भार स्वरूप ही है, जो नित्य खर्च करने पर भी बढ़ता है, ऐसा विद्याधन सभी धनों में प्रधान है) लेकिन इसके उल्टे अब अल्प ज्ञानी कौए हंसो की सभा में बुद्धिजीवी होने का दावा ठोक रहे हैं, हींग लग रही है न फिटकरी फिर भी रंग चोखा हो रहा है। ऐसी स्थिति में वास्तविक शोध व शोधकर्ताओं को भी लोग संदेह की दृष्टि से देखते हैं।

प्लेजरिज़्म रोकने हेतु सरकारी प्रयास एवं व्यवस्था–

भारत सरकार ने कॉपी राइट अधिकारों की रक्षा के लिए कॉपी राइट एक्ट 1957, यथा संशोधन 1983, 1984, 1992, 1994, 2010, एवं 2012 पारित किया, जिसका उद्देश्य वाणिज्यिकरण को बढ़ावा देना नहीं बल्कि लेखकों, प्रकाशकों तथा उपभोक्ताओं सभी के हितों में उचित संतुलन स्थापित करना था। कम्प्यूटर, इण्टरनेट आदि तकनीकी साधनों के इस दौर में लेखकों और प्रकाशकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए इसमें यथा समय संशोधन भी किए हैं।

यूजीसी भी कहती है कि '.....प्लेजरिज़्म के दुष्परिणामों को स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाकर लेखन, शोध और अनुसंधान में ईमानदारी और जागरुकता लाई जाए। इस विषय पर सेमीनार वर्कशॉप, भाषण करवाएं जाएं। प्लेजरिज़्म का पता लगाने और रोकने के लिए शैक्षिक और अनुसंधान केन्द्रों में अलग तंत्र स्थापित करने, आधुनिक तकनीकी टूल्स के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की बात भी कही गई है।' (मधु संधु, 2018)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूजीसी (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादमिक और साहित्य चोरी की रोकथाम को प्रोत्साहन) विनियम–2018 को मंजूरी दी है जिसके अन्तर्गत दण्ड का भी प्रावधान है यथा–

छात्रों पर कार्यवाही–:

- लेवल 0 : 10 फसदी तक समानता पाये जाने पर, किसी प्रकार के दण्ड का प्रावधान नहीं है।
- लेवल 1 : 10 से 40 प्रतिशत प्लेजरिज़्म– इस मामले में छात्र को किसी भी प्रकार से कोई अंक या क्रेडिट प्रदान नहीं किया जाएगा। साध ही छह महीने के अंदर दोबारा साहित्यिक चोर से मुक्त शोध सामग्री जमा कराने का मौका दिया जाएगा।
- लेवल 2 : 40 से 60 प्रतिशत प्लेजरिज़्म– ऐसे मामले में संबंधित छात्र को कोई अंक या क्रेडिट प्रदान नहीं किया जाएगा। साथ ही शोध पुनः जमा करने के लिए अधिकतम 18 महीने का समय दिया जाएगा।
- लेवल 3 : 60 प्रतिशत से अधिक की प्लेजरिज़्म– ऐसे प्रकरण में संबंधित छात्र को कमेटी द्वारा कोई अंक या क्रेडिट प्रदान किया जाएगा। साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा।

प्रोफेसर्स पर कार्यवाही–

- लेवल 0 : 10 फीसदी तक समानता या मामूली समानता पाए जाने पर किसी भी प्रकार का दण्ड नहीं।
- लेवल 1 : 10 से 40 प्रतिशन प्लेजरिज़्म के मामले में मैनूस्क्रिप्ट (हस्तलिपि) वापस लेने को कहा जाएगा। साथ ही किसी भी प्रकार के प्रकाशन पर एक वर्ष का प्रतिबंध।
- लेवल 2 : 40 से 60 प्रतिशत प्लेजरिज़्म के मामले में मैनूस्क्रिप्ट वापस लेने को कहा जाएगा। किसी भी प्रकार के प्रकाशन पर दो वर्ष के प्रतिबंध के साथ ही एमफिल या पीएचडी स्कॉलर के गाइड के रूप में कार्य करने पर प्रतिबंध।
- लेवल 3 : 60 से अधिक की प्लेजरिज़्म के मामले में अगले दो साल तक वेतनमान में वृद्धि पर रोक। प्रकाशन के लिए दी गई मैनूस्किप्ट स्वीकार नहीं की जाएगी। तीन वर्ष तक प्रकाशन पर प्रतिबन्ध व एमफिल या पीएचडी स्कॉलर के गाइड के रूप में कार्य करने पर 3 वर्ष का प्रतिबंध। बार–बार गलती करने पर सेवा समाप्त करने का प्रावधान।

छात्रों को निर्देश –:

शोध पर थीसिस डिजर्टेशन या अन्य कोई दस्तावेज जमा करने से पूर्व छात्र को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उसका शोध कार्य मौलिक है, प्लेजरिज़्म सॉफ्टवेयर से इसकी जाँच कर ली गई है। सुपरवाइजर भी खुद शपथ पत्र देगा कि शोधार्थी का शोधकार्य चोरी मुक्त है।

प्लेजरिज़्म को दूर करने के उपाय –:

प्लेजरिज़्म को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं, यथा –

1– उचित साइटेशन प्रणाली का प्रयोग करें (Using a Citation System)

- अपने विषय अनुसार उपयुक्त मानकीय संदर्भ प्रणाली का चयन करें, यथा –

  -MLA (Modern Language Association)- साहित्य, भाषाओं, एवं कला से जुड़े विषयों में उपयोगी।

  -APA (American Psychological Association)- सामाजिक विज्ञान, शिक्षाशास्त्र, मनोविज्ञान अर्थात सामाजिक एवं व्यवहारिक विज्ञान में उपयोगी।

  -Chicago (शिकागो)– ऐतिहासिक लेखन में उपयोगी।

  -CSE (Council of Science Editors)- विज्ञान आधारित लेखन में उपयोगी।
- सोर्सेज को सही तरीके से स्पष्ट करने के लिए, अपनी Citation style के आधुनिक संस्करण का प्रयोग करें। इसमें पुस्तकें, पुस्तक के कुछ विशेष अध्ययन, जर्नल्स लेख, बेबसाइट, इंस्ट्रक्टर के लेक्चर्स, ई–पुस्तकें ऐतिहासिक अभिलेख, फिल्मस इत्यादि शामिल सकते हैं।

- अपने लेख के अन्त में संदर्भ (Reference) दें।

2– सोर्स की हुई विषय वस्तु को ध्यानपूर्वक प्रस्तुत करें (Featuring Sourced content Properly)

- साइटेशन के बाद सीधे संदर्भ और कोटेशन का पालन करें–लेखन का नाम और इसे रिफर करने के बाद ब्रेकेट्स में कोट की हुई विषय वस्तु का पेज नम्बर, और उसके शोध कार्य की प्रकाशन तिथि लिखें।
- विवरण (Paraphrasing) देते समय वाक्य रचना, भाषा, और विषय वस्तु की लेखन शैली को परिवर्तित कर सकते हैं।
- सोर्स विषय–वस्तु (Material) के लिए कोटेशन मार्क्स का प्रयोग करें।
- किसी भी विषय–वस्तु/अवतरण को अच्छे तरह से पढ़ें ताकि आप उसको प्रयोग करने से पूर्व उसे अच्छी तरह समझ सकें।
- गोल्डन रूल का पालन करें अर्थात जिस मूल लेखक/शोधकर्ता की शोध सामग्री का उपयोग आपने अपने शोध अध्ययन में किया है उसे श्रेय (Credit) अवश्य दें ।

3– मौलिक लेख तैयार करना (Creating Original Content)

- अपना शोध पत्र/असाइनमेंट स्वयं लिखें।
- स्वयं के द्वारा लिखी गई पुस्तक/शोध पत्र का पुनः प्रयोग करने हेतु प्रकाशक से अनुमति लें।
- नया शोध पत्र लिखने से पूर्व मूल लेखक एवं प्रकाशक की अनुमति लें।
- दूसरे की विषयवस्तु को अपनी स्वयं की विषय–वस्तु की तरह प्रयोग न करें।
- शोध कार्य को पूर्ण करने के लिए स्वयं को समय दें या शोध पत्र निर्धारित तिथि में प्रकाशन हेतु भेजने से काफी समय पहले ही शोध पत्र लेखन का कार्य प्रारम्भ दें।
- पूर्णतया प्लेजरिज़्म डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर पर ही निर्भर न रहें।
- अपने लिखे हुए लेख/शोध पत्र की कम से कम तीन–चार बार समीक्षा करें अर्थात तीन–चार बार पुनः लिखें।

4– ओपन एजुकेशनल रिसोर्सिस (OER) प्लेट्सफॉर्म/साइट्स का प्रयोग करें–

- फ्लिकर (flickr)
- पिक्साबे (Pixabay)
- क्रिएटिव कॉमन (Creative Common)
- स्वयं (Swayam) आदि

यूजीसी ने प्लेजरिज़्म को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार की दण्डात्मक व्यवस्था के साथ तकनीकी टूल्स के प्रयोग एवं उसके उचित प्रशिक्षण की भी संस्तुति की है। परिणामस्वरूप विभिन्न विश्वविद्यालय/ जर्नल्स प्रकाशक सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभिन्न भाषाओं में भी लिखे शोध पत्र/ थीसिस को चैक करा रहे है । प्लेजरिज़्म की शिकायत मिलने पर Institutional/Departmental Academic Integrity Penal (DAIP/IAIP) का गठन किया गया है। प्लेजरिज़्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर–

- शोध शुद्धि
- टरनिटिन
- URKUND
- EDUBIRDIE
- BibMe

- Quetext
- Plag Scan
- Zotero
- VIPER
- etc.

यूजीसी ने शोध की गुणवत्ता को बनाए रखने/बढ़ाने के लिए 2 जून 2017 को एक 32,659 यूजीसी अनुमोदित शोध पत्रों की सूची प्रकाशित की, इस सूची मे बाद में और शोध पत्रों को भी जोड़ा गया। पुनः 14 जून 2019 को 'केयर रेफ्रेंस लिस्ट ऑफ क्वालिटी जर्नल' नामक एक सूची जारी की, जिसमें कि विज्ञान शाखा के 333, सामाजिक विज्ञान के 266, कला एवं मानविकी के 287, भारतीय भाषाओं के 171 एवं बहुशाखीय 35, शोध जर्नल्स सम्मिलित हैं। हालाँकि यूजीसी केयर सूची में नए–नए जर्नल्स जुड़ते रहते हैं तथा जो जर्नल्स अधोमानक होते है वह सूची से बाहर कर दिए जाते हैं अर्थात् यह सूची निरंतर अपडेट होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं गुणात्मक शोध हेतु यूजीसी निरन्तर प्रयासरत एवं प्रतिबद्ध है आवश्यकता है कि हम मौलिक शोध करें, चिंतन करें तथा उसका ही प्रचार–प्रसार करें ताकि समाज का भला हो सकें।

संदर्भ

1. सीडीआरआई के बाद बीबीयू में भी साहित्यक चोरी, शीर्षक समाचार ,अमर उजाला (नगर सं) लखनऊ , 23 -09- 2019 ।
2. आई वी आर आई वैज्ञानिक की शोध सामग्री चोरी, शीर्षक समाचार ,अमर उजाला (नगर सं), बरेली , 25-09-2013 ।
3. मधु संधु,(2018), ठसवह–उंकीन–ेक19/लीवव.बव.पद
4. राय, पी०एन०(2002), अनुसंधान परिचय, आगरा ; लक्ष्मी नारायण पब्लिशर्स ।
5. सिंघल,बी०(2008), शोध स्वरुप एवं मानक व्यवहारिक कार्य विधि ; नई दिल्ली, वाणी प्रकाशन ।
6. शर्मा, आर०ए०(2009), भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास : मेरठ, लाल बुक डिपो ।
7. शोध में चोरी करने पर जा सकती है शिक्षकों की नौकरी, रद्द होगा छात्रों–छात्राओं का रजिस्ट्रेशन, द वायर,04-08-2018 ।
8. स्मेयर्स,पी०2006), व्यर्थ शोध,निरर्थक सिद्धांत और जोखिम में शिक्षा शिक्षा विमर्श, जुलाई–अगस्त 2008] प्रष्ठ 24–37] संदर्भ दृ भारतीय आधुनिक शिक्षा,नई दिल्ली ; एनसीआरटी, वर्ष–32]अंक–1] 2011] पृ० –97 ।
9. https://hi.wikipedia.org/wiki
10. https://hindi.webdunia.com/my-blog/saahity-kee-choree-se-sastee-lokapriyata-118080200062_1.html
11. https://hi.wikihow.com
12. https://www.rachanakar.org/2018/05/blog-post_665.html
13. http://thewirehindi.com/53120/ugc-brings-new-anti-plagiarism-policy-higher-education/
14. https://navbharattimes.indiatimes.com/education/education-news/plagiarism-to-cost-teachers-jobs-students-registration/articleshow/65267790.cms
15. https://navbharattimes.indiatimes.com/metro/lucknow/other-news/plagiarism-in-bbau-after-cdri/articleshow/71248271.cms
16. https://www.ugc.ac.in